राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण,
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष
2024 के सी.ए. (सी.ए.ए.) संख्या 6/सीएचडी/एचआरवाई
के मामले में:
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और 234 तथा कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के तहत याचिका
और
निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना
के मामले में:

पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो 18 मई, 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई थी और भारत के कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जिसका अस्तित्व जारी रखा गया है, जिसका सीआईएन : U67100HR1998PTC113312 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 में है।

...आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी

के साथ

पाइन लैब्स लिमिटेड, सिंगापुर यूईएन नंबर 201319166R, के साथ शेयरों द्वारा सीमित एक सार्वजनिक कंपनी है, जो सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत निगमित की गई है और इसका पंजीकृत कार्यालय 38, बीच रोच, नं. 29–11, साउथ बीच टॉवर, सिंगापुर, 189767 में है।

...गैर–आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी

और

उनके संबंधित शेयर धारक

फॉर्म नं. सी.ए.ए. 2

आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी, पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों की सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 12 अगस्त, 2024 के आदेश (**"आदेश"**) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (**"न्यायाधिकरण"**) की चंडीगढ़ पीठ द्वारा पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (**"हस्तांतरिती कंपनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों के बीच विचार करने के उद्देश्य से तथा यदि उचित समझा जाए तो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी और पाइन लैब्स लिमिटेड, अर्थात् गैर–आवेदक कंपनी/हस्तांतरणकर्ता कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 230–232 के साथ पठित धारा 234 और कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) नियम, 2016, और सिंगापुर के कंपनी अधिनियम 1967 की धारा 212 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, सहित धारा 210 के अनुसरण में (**"योजना"**) संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अनुमोदन देने के लिए अलग–अलग वर्चुअल बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

आदेश के पालन में और उसमें दिए गए निर्देशानुसार, आगे की सूचना (**"सूचना" या "सूचनाएं"**) दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2023 को हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों की अलग–अलग वर्चुअल बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**"वीसी"**) (**"बैठकें"**) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, (बैठक के लिए मानद स्थान पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा, भारत 122002 है) इस प्रकार, आवेदक कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और / या अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इस समय बैठक में भाग लें, विचार करें, और यदि उपयुक्त हो, तो अधिनियम की धारा 232 (1) के साथ पठित धारा 230 (1) के तहत निर्धारित अपेक्षित बहुमत से योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पारित करें :

क्र. सं.	बैठकें	दिन और दिनांक	समय
1	इक्विटी शेयरधारक	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 11 बजे
2	अप्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 28 सितंबर, 2024	सुबह 12 बजे

रिमोट ई–वोटिंग का विकल्प चुनने वाले इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदारों को केवल बैठकों में शामिल होने और भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन बैठकों के दौरान फिर से वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

भाग लेने और वोट करने के अधिकार रखने वाले व्यक्ति, वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली उक्त बैठकों के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा के माध्यम से वोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2023 तक शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार हैं, उन्हें केवल ई–वोटिंग या रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का अधिकार होगा। आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी ने आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को वीसी के माध्यम से बैठकों में शामिल होने, भाग लेने और ई–वोट करने में सक्षम बनाने के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**'केफिन'**) को नियुक्त किया है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि 24 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे भारतीय मानक समय पर शुरू होगी और 27 सितंबर, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को केफिन द्वारा वोटिंग के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयरधारक और अप्रतिभूत लेनदार वोटिंग के लिए केवल एक मोड चुन सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या बैठक के दौरान ई–वोटिंग।

योजना की प्रतियां, बैठकों के लिए नोटिस और अधिनियम की धारा 230 (3) के तहत व्याख्यात्मक वक्तव्य और इसमें संदर्भित सभी दस्तावेज केफिन की वेबसाइट (https://emeetings.kfintech.com), और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी की वेबसाइट (www.pinelabs.com) पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें हस्तांतरिती कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यूनिट संख्या 408, चौथी मंजिल, टाइम टॉवर, एमजी रोड, डीएलएफ क्यूई, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 और कंपनी के नेगम कार्यालय कैंडोर टेकस्पेस, चौथी और पांचवीं मंजिल, टॉवर–6, प्लॉट संख्या बी–2, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, भारत में शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच बैठकों की तारीख तक और बैठकों में भी निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखने के साथ एक ईमेल भेजा जा सकता है।

बैठकों के लिए नोटिस की प्रतियां संलग्न दस्तावेजों के साथ, 23 अगस्त, 2024 को आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को 31 दिसंबर, 2023 तक, उनके अंतिम ज्ञात ई–मेल पतों पर, जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास उपलब्ध हैं, अनुमत तरीकों (अर्थात् ईमेल) द्वारा भेजी गई हैं। बैठकों के दौरान रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के संबंध में निर्देशों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा उक्त नोटिस का संदर्भ देखा जा सकता है।

यदि कोई ऐसा इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, जिसका ई–मेल पता आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, और वह नोटिस की सॉफ्ट कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्राप्त करना चाहता है तो उनसे अनुरोध है कि वे cosecy@pinelabs.com, पर ई–मेल भेजें, साथ ही उन इक्विटी शेयरधारक(कों) या अप्रतिभूत लेनदार(रों) द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रदान करें, जिसमें बैठक की सूचना और बैठक की तिथि तक ई–वोटिंग निर्देश भेजने के लिए ई–मेल पता, मोबाइल नंबर और स्व–सत्यापित पैन प्रति (और भौतिक फोलियो के मामले में इक्विटी शेयरधारक होने पर शेयर प्रमाण पत्र की एक प्रति) प्रदान करें, और आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी के इन इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों को नोटिस की सॉफ्ट कॉपी (साथ में संलग्न दस्तावेजों सहित) प्रदान की जाएगी।

यदि कोई इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दस्तावेजों को भौतिक रूप से देखना चाहता है तो संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे इक्विटी शेयरधारक/अप्रतिभूत लेनदार को मांग प्राप्त होने के एक दिन के अंदर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, cosecy@pinelabs.com पर विषय "पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड – एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई बैठक" लिखकर एक ईमेल भेजा जा सकता है।

ये बैठकें वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदार की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, बैठकों के लिए इक्विटी शेयरधारकों और अप्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जबकि एक निकाय कॉर्पोरेट जो आवेदक कंपनी/हस्तांतरिती कंपनी का इक्विटी शेयरधारक और/या अप्रतिभूत लेनदार है, उसे वीसी के माध्यम से आयोजित बैठकों के दौरान भाग लेने और/या मतदान करने के प्रयोजनों के लिए एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण द्वारा कथित बैठकों के लिए श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.पी. नागरथ को अध्यक्ष तथा श्री विश्वजीत सिंह, अधिवक्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

न्यायाधिकरण ने सुश्री अर्शदीप कौर जज, कंपनी सचिव को उक्त बैठकों का संवीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी सहायता या शिकायत के मामले में संबंधित शेयरधारक और/या अप्रतिभूत ऋणदाता केफिन के उप महाप्रबंधक श्री एस.वी. राजू से संपर्क कर सकते हैं, जिनका कार्यालय सेलेनियम, प्लॉट 31 और 32, गाछी बावली वित्तीय जिला, नानकमुडा, हैदराबाद–500 032 पर है, einward.ris@kfintech.com तथा evoting@kfintech.com पर केफिन के टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 पर कॉल करें।

यदि यह योजना बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो अन्य बातों के साथ–साथ न्यायाधिकरण द्वारा बाद में दिए गए अनुमोदन के अधीन होगी।

दिनांक: 24 अगस्त, 2024
स्थान: गुरुग्राम

हस्ताक्षर
इंद्रेश कुमार गुप्ता
निदेशक, पाइन लैब्स प्रा. लि.
डीआईएन : 07488823

फोन : 0124-6949200;
ई मेल : cosecy@pinelabs.com; वेबसाइट : www.pinelabs.com

NIIT

एनआईआईटी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम – 122001, हरियाणा
CIN: L74899HR1981PLC107123
फोन: +91 (124) 4293000; वेबसाइट: www.niit.com; ईमेल: investors@niit.com

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनआईआईटी लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) पर एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो पद्धति (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 तथा सेबी द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में होगी जो कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति देता है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम, की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा।

परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.niit.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज़ लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई–वोटिंग') का उपयोग करके रिमोटली वोट डालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम की सूचना में वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया/निर्देश, डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंगशामिल होंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.niitmts.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्यगण जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत नही हैं, वह एजीएम की सूचना में दिये गये निर्देशों का पालन करके अपना लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयरधारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे।

कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के सदस्यगण रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित होने और एजीएम में वोट देने के लिए हकदार होंगे। रिमोट ई–वोटिंग अवधि गुरूवार, 19 सितम्बर, 2024 (प्रातः 9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 23 सितम्बर, 2024 (सायं 5:00 बजे) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। यदि रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग दोनों माध्यमों से वोट दिया जाता है तो रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में की गई ई–वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

श्री नित्यानंद सिंह, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668; सीपी 2388) या उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित बंसल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 11292; सीपी 16860), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकृत ई–मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, डिमेट खाता नम्बर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 तक खुला रहेगा। कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करने वाले सदस्यगण पंजीकरण एवं एजीएम में शामिल होने के लिए योग्य होंगे।

जो भी सदस्यगण कोई भी पूछताछ या जानकारी चाहते है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम से न्यूनतम 7 दिन पहले कंपनी को investors@niit.com पर ईमेल लिखकर भेजें।

केवाईसी/ई–मेल पता/बैंक विवरण पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया:

भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") ने अपने मास्टर परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2023/70 दिनांक 17 मई, 2023, समय–समय पर यथासंशोधित के माध्यम से आधार से जुड़े पैन, केवाईसी विवरण (अर्थात्, पिन कोड के साथ डाक पता, ई–मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण इत्यादि) और प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा नामांकन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2024 से लाभांश का कोई भी भुगतान केवल भौतिक शेयरधारकों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा। वे भौतिक शेयरधारक जिनका केवाईसी आरटीए/कंपनी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है; उनके लाभांश का भुगतान फिजिकल फोलियो में केवाईसी अपडेट होने पर ही किया जाएगा।

जिन सदस्यों के पास डीमैट प्रारूप में शेयर हैं उन्हें लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए अपने बैंक विवरण, ई–मेल पता, डाक पता, संपर्क नंबर और नामांकन विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने डीमैट खाते में अपडेट रखना चाहिए।

इसके अलावा, सेबी ने आदेश दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैट प्रारूप में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टफोलियो प्रबंधन और लाभांश भुगतान में आसानी के लिए अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमटेरियलाइज करें।

सदस्य आरटीए/या कंपनी की वेबसाइट पर अपेक्षित फॉर्म/दस्तावेज मेजने के लिए सेबी मास्टर सर्कुलर, प्रासंगिक निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म, केवाईसी फॉर्म और संपर्क विवरण देख सकते हैं।

लाभांश/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/विदहोल्डिंग टैक्स पर जानकारी:

निदेशक मंडल ने 24 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रु. 0.75/– प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बृहस्पतिवार, 5 सितंबर, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर या शेयरों के लाभार्थी स्वामियों के रूप में डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में शामिल होंगे। अंतिम लाभांश एजीएम में सदस्यों की मंजूरी के अधीन उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान (स्रोत पर कर की कटौती के बाद) किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन शेयरधारकों ने डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए फोलियो नंबर के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, स्व–सत्यापित रद्द चेक और पैन की प्रति के साथ अपने डिपॉजिटरी (जहां शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं) के साथ अपने संपूर्ण बैंक विवरण अपडेट करें और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट – अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (जहां शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं) के साथ अपडेट करें।

शेयरधारक ध्यान दें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') में अधिदेश दिया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटने की आवश्यकता होगी। हमें लागू उचित टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए, अधिनियम की धारा 194 के तहत स्रोत पर कर कटौती निम्नानुसार की जाएगी:

वैध स्थायी लेखा संख्या (पैन) वाले शेयरधारक	10 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित
ऐसे शेयरधारक जिनके पास पैन/वैध पैन नहीं है	20 प्रतिशत या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

हालाँकि, रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों को देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा, यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान उन्हें प्राप्त होने वाला कुल लाभांश रु. 5,000/– से अधिक नहीं है और ऐसे मामलों में भी जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच (फॉर्म 15एच 60 वर्ष या अधिक आयु के रेजीडेंट व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लागू है) प्रदान करते हैं। रेजीडेंट शेयरधारक कम/शून्य कर कटौती का दावा करने के लिए आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। फॉर्म 15जी/15एच या ऊपर उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने वाले शेयरधारकों के लिए पैन अनिवार्य है।

नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के लिए धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर कर विदहेल्ड करना आवश्यक है। देय लाभांश राशि पर विदहोल्डिंग टैक्स 20 प्रतिशत दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार होगा। हालाँकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों के पास भारत और शेयरधारक(कों) का टैक्स रेजीडेंस, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक हैं, देश के बीच बहुपक्षीय साधन ('एमएलआई') के साथ पढ़े जाने वाले दोहरे कर बचाव समझौते ('डीटीएए') के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। इस उद्देश्य के लिए एमएलआई के साथ पठित डीटीए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नॉन–रेजीडेंट शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति;
- जिस देश का शेयरधारक निवासी है उस देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वित्त वर्ष 2024–25 के लिए टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र की स्व–सत्यापित प्रति;
- भारतीय आयकर पोर्टल पर विधिवत भरे गए फॉर्म 10एफ की प्रति। इस फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पंजीकरण करके भारतीय आयकर पोर्टल पर दाखिल करना होगा; https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/register
- नॉन–रेजीडेंट से स्व–घोषणा, मुख्य रूप से निम्नलिखित को शमिल करती है:
  - नॉन–रेजीडेंट संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है;
  - लाभांश आय प्राप्त करने वाला नॉन–रेजीडेंट ऐसी आय का लाभकारी स्वामी है;
  - लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान ('पीई') या निश्चित आधार से संबंधित/प्रभावी रूप से जुड़ी नहीं है;
  - नॉन–रेजीडेंट प्रासंगिक कर संधि और एमएलआई के तहत प्रावधानों में निर्धारित किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करता है;
  - नॉन–रेजीडेंट के पास भारत में प्रभावी प्रबंधन का स्थान नहीं है;

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में आईटी अधिनियम की धारा 196डी के तहत उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के अधीन 20 प्रतिशत (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) या एमएलआई के साथ पठित प्रासंगिक डीटीएए में प्रदान की गई दर, जो भी अधिक लाभकारी हो, के तहत कर काटा जाएगा।

यह सूचना परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
अर्पिता बिसारिया मल्होत्रा
कंपनी सचिव

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 23 अगस्त, 2024

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्टेडियम रोड (2365) शाखा, पी–5/15, स्टेडियम रोड,
डी.डी. पुरम, बरेली–243001

क्षेत्रीय कार्यालय:
बीएसएनएल कार्यालय के पास,
तेजगढ़ी चौराहा,
मेरठ –250005

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **22.08.2024** को ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य को समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

क्र0 सं0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री अजय कपूर पुत्र रामनाथ कपूर निवासी– ए2/10वां फ्लैट 1001 अस्मिता ज्योति को–ऑप–हाउसिंग सोसाइटी, लिंक रोड, मुंबई, महाराष्ट्र–400095	आवासीय मकान स्थित खसरा संख्या: 637 मिन, 640 मिन, 641 मिन बिहार मान नगला, तहसील, बरेली, यू.पी.–243001, स्वामित्व श्री अजय कपूर, कुल क्षेत्रफल: 119.09 वर्ग गज या 99.57 वर्ग मीटर, **सीमायें:**–पूर्व: राजीव पंडित का मकान, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर: अयाज अहमद का प्लॉट, दक्षिण: किरण बत्रा का मकान।	14.03.2023 **मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 18,56,637.00 दिनांक 28.02.2023 तक** + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	22.08.2024	रू **22,23,428.58** + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक– 23.08.2024 **प्राधिकृत अधिकारी**

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार – 125 005 (हरियाणा)
ई–मेल: vchugh@hisarmetal.com; **फोन:** (01662) 220067, 220367, 220738 **फैक्स:** (01662) 220265
सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई–मतदान की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार (हरियाणा) में 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भे